माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

CRA No. 1805 of 2017

मुकेश सिंह पिता राजू सिंग उम्र–41 वर्ष निवासी–ग्राम राहसा थाना–भगवानपुर

जिला–वैशाली बिहार (बिहार)

-----**अपीलार्थी**

विरूद्ध

छत्तीसगढ राज्य द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट रायपुर, छ०ग० -----**उत्तरवादी**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलकर्ता की आ◌ेर से –

श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्वनी दुबे के साथ आ◌ैर श्री वा◌ुइ०सी०शर्मा अधिवक्ता, श्री सचिन निधि के साथ आ◌ैर श्री अजय चन्द्रा अधिवक्ता

उत्तरवादी की आ◌ेर से–

श्री ललित जांगड़े, DY. GA

खण्डपीठ माननीय न्यायधीश श्री मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव,

माननीय न्यायाधीश श्रीमती विमला सिंह कपूर,

Order on Board

द्वारा– श्री मनेन्द्र माहेन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

19.08.2021

1. इस अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय को चुनौती दिया गया था जो कि ट्रायल नंबर 143/2011, प्रथम अतिरिक्त सेशन जज के द्वितीय अतिरिक्त सेशन जज, रायपुर जिला रायपुर द्वारा पारित किया गया था , जिसमें अपीलार्थी को धारा 395, 397, 342 सहपठित धारा 120B भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी को जो सजाएं दी गयी थी, वह निम्नानुसार वर्णित है–

धारा 395 भा०द०सं०–	आजीवनकारावास और 500/–रूपये का
जुर्माना,	जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त्
	कठोर कारावास।
धारा 397 भा०द०सं०–	सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/–रूपये
का	जुर्माना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर एक माह का
	अतिरिक्त कठोर कारावास।
धारा 342 भा०द०सं०–	एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/–रूपये
का	जुर्माना, जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर एक माह का
	अतिरिक्त कठोर कारावास।
धारा 120B भा०द०सं०–	आजीवन कारावास और 500/–रूपये के
जुर्माना से,	जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त
	कठोर कारावास

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. दोषसिद्धि के निर्णय व सजा के आदेश तथा प्रकरण के अभिलेखानुसार अभियोजन की कहानी यह है कि दिनांक 14.09.2004 को स्टेट बैंक आॅफ इंदौर, मुख्य शाखा, एम०जी० रोड़ रायपुर में सुबह 09:45 बजे से 10:40 के मध्य डकैती हुई थी और यह आरोप लगाया गया है कि उक्त डकैती वर्तमान अपीलार्थी द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर की गयी थी। आगे अपीलार्थी पर यह भी अभियोग है कि उपरोक्त षडयंत्र के अग्रशरण में आरोपी, बैंक के बिल्डिंग में अपने साथ हथियार लेकर घुस गया था और उक्त अग्नेय अस्त्र के माध्यम से बैंक के कर्मचारी व कुछ ग्राहकों को धमकी देकर विधि विरूद्ध रूप से बंधक बनाया था। इस प्रकार उन्हें धमकाते हुए बैंक से 2.80 करोड़ रूपये लूट लिये गये।

पुलिस को सूचना प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा एफ०आई० आर० दर्ज किया गया और विस्तृत अन्वेषण किया गया, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए तथा उनका मेमोरण्डम कथन लिया गया और उनके मेमोरण्डम के आधार पर कुछ स्थानों से जप्ती हुई थी। पहचान परेड कार्यवाही की गयी और ऐसा कहा गया कि उन आरोपियों के साथ यघपि वर्तमान अपीलार्थी की पहचान नहीं की गयी थी और यह भी कहा गया कि जिन आरोपियों की पहचान की गयी थी उस पहचान कार्यवाही में अपीलार्थी मुकेश सिंह को नहीं रखा गया था। पुलिस ने अग्रिम विवेचना में उस होटल से कुछ साक्ष्य एवं रजिस्टर संग्रहित किये थे, जहां आरोपीगण अपराध करने के पूर्व रूके थे। सामान्य अन्वेषण पूरी होने के बाद आरोपीगण सिद्धि कुमार, भूषण प्रसाद, सुनील कुमार और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उमेश प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद अन्य आरोपीगण संजय कुमार सिंग, रामबाबू आ ौर शाहा जी के विरूद्ध पूरक चालान दाखिल किया गया। वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह के विरूद्ध को ई पूरक चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु उसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोडक्शन वारंट के द्वारा दिनांक 26.08.2014 को प्रस्तुत किया गया। इस निर्णय के अनुसार यह भी दर्शित होता है कि विचारण के लंबित रहने के दौरान आरोपीगण बबलू उर्फ संजय आ ौर उमेश प्रसाद फरार हो गये तथा एक अन्य आरोपी रामबाबू की मृत्यु हो गयी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. यद्यपि वर्तमान अपीलार्थी/आरोपी मुकेश सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था, परंतु अन्य आरोपीगण के विरूद्ध दाखिल आरोप पत्र में निहित सामग्री के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह के विरूद्ध भी आरोप पत्र विरचित किया गया। आरोपी पर यह भी आरोप है कि वह अन्य आरोपियों के साथ डकैती करने के लिये षडयंत्र किया था। अपीलार्थी का अन्य आरोपीगण के साथ विचारण किया गया।

अपने प्रकरण को साबित करने के लिये अभियोजन द्वारा तीस साक्षियों का परीक्षण कराया गया। विचारण न्यायालय ने भी दो साक्षियों का कोर्ट साक्षी के रूप में परीक्षण किया गया। इसके बाद अपीलार्थी का धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोपी से पूछताछ किया गया, जिसमें वर्तमान आरोपी ने अपराध किये जाने से

इंकार किया। वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह ने को्इ बचाव साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा करते हुए जिसमें पहचान का साक्ष्य, जप्ती एवं तस्दीक पंचनामा भी शामिल है, अन्य अारोपीगण के साथ वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह को भी दोषसिद्ध किया।

4. वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की आेर से उपस्थित होकर तर्क दिया कि इस प्रकरण में को्इ साक्ष्य नहीं है। उनकी आेर से यह भी तर्क दिया गया कि संपूर्ण अभियोजन का मामला केवल अन्य सहआरोपीगण द्वारा जिन्हें इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था, के द्वारा दिये गये कुछ अभियोगात्मक कथन पर निर्भर है। उक्त कथनों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत स्वीकृत एवं विश्वसनीय माना गया तथा वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह के विरूद्ध डकैती कारित करने के षड़यंत्र में उसकी सहभागिता के साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया गया। आगे उनके अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी को कभी भी पहचान परेड कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था आैर अभियोजन के उपरोक्त पहचान परेड कार्यवाही के किसी भी पहचानकर्ता साक्षियों ने अपीलार्थी मुकेश सिंह की पहचान विचारण के दौरान नहीं की है। आगे यह भी कथन किया है कि वर्तमान अपीलार्थी से नगदी रकम तो छोड़ो को्इ भी आपत्तिजनक सामग्री भी जप्त नहीं की गयी है। उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि होटल में ठहरने से संबंधित विभिन्न दस्तावेज जैसे रजिस्टर अन्य दस्तावेज

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जप्त किये गये, उन्हें हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच के लिये भेजा गया, लेकिन जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध को्इ भी आपत्तिजनक सबूत पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान आक्षेपित निर्णय के अध्याय 35 के पैरा 33 की आ्र आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को केवल अन्य सहआरोपीगण के कुछ अभियोगात्मक बयान आैर मेमोरण्डम के आधार पर दोषी ठहराया है। आगे यह भी तर्क दिया है कि अन्य आरोपीगण के मेमोरण्डम कथन के आधार पर जो वस्तुएं प्राप्त किए गये है कि उसे कथित अपराध कारित करने की आरोपी की सहभागिता दर्शित नहीं होती है। वर्तमान अपीलार्थी से ना तो को्इ जप्ती हु्इ है आैर ना ही को्इ साक्ष्य है, जिससे यह साबित हो कि कथित अपराध में आरोपी की सहभागिता अन्य सहआरोपीगण के साथ किस प्रकार से थी। अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियोगात्मक कथन तथा तस्दीक पंचनामा, जिसे प्र०पी०–04 एवं प्र०पी०–06 के रूप में तैयार किया गया है को साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान अनुसार वर्तमान अपीलार्थी के विरूद्ध साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया गया है, जो कि विधि अनुसार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अपने तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **गुजरात राज्य बनाम मो० अतीक एवं अन्य, मो० खालिद बनाम पश्चित बंगाल, राज्य (N.C.T. दिल्ली) विरूद्ध नवजोत सन्धु एवं अरूण राजा बनाम तमिलनाडू राज्य,** प्रस्तुत किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वहीं दूसरी ओर विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और सजा के विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि जहां तक वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह का संबंध है, सहआरोपीगण के सभी मेमोरण्डम कथन, तस्दीक पंचनामा प्र०पी०–02, प्र०पी०–03, प्र०पी०–04 एवं प्र०पी०–06 में अपीलार्थी का नाम लिया गया है। उन्होंने तर्क किया है कि अपीलार्थी को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था इसलिये उसकी पहचान परेड नहीं कराई गयी। यघपि न्यायालय में पेश किये गये पहचान परेड कार्यवाही के गवाहों ने उसकी पहचान नहीं की है और ना ही उससे कोई बरामदगी की गयी है, फिर भी प्रकरण के अन्य आरोपियों ने यह स्पष्ट बयान दिया है कि किस प्रकार से साजिश रची गयी और अपराध कारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने सहषडयंत्रकारी की भूमिका निभाई और पूरी साजिश में उसकी भूमिका को स्वंतत्र गवाहों की उपस्थिति में जांच के दौरान विवेचक द्वारा दर्ज किया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि भूषण प्रसाद का मेमोरण्डम प्र०पी०–02, सिद्धि कुमार का मेमोरण्डम प्र०पी०–03, आरोपीगण सिद्धि कुमार एवं भूषण प्रसाद का तस्दीक पंचनामा प्र०पी०–04, आरोपी उमेश प्रसाद का मेमोरण्डम प्र०पी०–05, आरोपी सुनील सिंह का मेमोरण्डम प्र०पी०–06, आरोपीगण सुनील कुमार एवं उमेश प्रसाद का तस्दीक पंचनामा प्र०पी०–07 में साजिश रचने के तरीके और साजिश को आगे बढ़ाने की एक समान कहानी बनाई गयी है, जिसे विवेचना अधिकारी ने साबित किया है। आगे तर्क दिया गया है कि वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह सहित विभिन्न

साजिशकर्ताओं द्वारा निभाई गयी भूमिका को सभी सहआरोपीगण के मेमोरण्डम एवं तस्दीक पंचनामा में सुसंगत रूप से बताया गया है और उनमें से प्रत्येक में स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को साजिश में सहसाजिश कर्ता में से एक के रूप में शामिल किया है, जिन्होंने मिलकर अपराध किया है। जहां तक वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह का संबंध है। उनके अनुसार तस्दीक पंचनामा की सामग्री जो यह बताती है कि किस तरह से साजिश रची गयी और वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह द्वारा निभाई गयी भूमिका, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रासंगिक एवं स्वीकार साक्ष्य है।

6. हमने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा विवादित निर्णय एवं प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. वर्तमान प्रकरण में बड़ी संख्या में अभियुक्त बैंक के कथित डकैती में शामिल थे। विवेचना की गयी और अन्य अभियुक्तों के मेमोरण्डम कथन और तस्दीक पंचनामा दर्ज किये गये किन्तु अभिलेख में वर्तमान अपीलार्थी का कोई भी मेमोरण्डम दर्ज किया जाना दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लगभग चार बार पहचान परेड कार्यवाही की गयी, जिसे प्रदर्श पी०–12, प्रदर्श पी०–13, प्रदर्श पी०–14, प्रदर्श पी०–15 एवं प्रदर्श पी०–16 के रूप में दर्शाया गया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को पहचान कार्यवाही में कभी भी नहीं रखा गया और न ही साक्षियों ने उसकी पहचान की है। आगे अभियोजन द्वारा जितने गवाह प्रस्तुत किये गये है। विशेषतः ऐसे गवाह जिन्होंने

अभियुक्त की पहचान की है उनके साक्ष्य के विश्लेषण से कहीं भी यह नहीं दर्शित होता है कि गवाहों ने विचारण के दौरान वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह की पहचान की है।

8. सहअभियुक्तों के मेमोरण्डम कथन के अनुसार नगद तो छोड़ो कोर्इ भी आपत्तिजनक वस्तु की जप्ती अपीलार्थी मुकेश सिंह से नहीं हुर्इ है, जहां तक वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह का संबंध है, ना ही उसके पहचान संबंधी कोर्इ साक्ष्य है आैर ना ही कोर्इ एेसी तथ्य खोजा गया है जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपराध किया गया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इस न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय अवलोकन से यह पाया गया है कि वर्तमान अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिये दोषसिद्व करने का एक मात्र आधार सहअभियुक्तगण के मेमोरण्डम कथन है, जिसमें अपीलार्थी का नाम उल्लेखित है आैर जांच अधिकारी द्वारा तैयार किये गये तस्दीक पंचनााम के तथ्य जो विस्तृत रूप से जांच अधिकारी द्वारा कुछ अभियुक्तों के कथनों के आधार पर तर्यार किये गये है उसे वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह के कथित षडयंत्र में शामिल होने के सुसंगत व स्वीकृत साक्ष्य के रूप में लिया गया है।

10. इस न्यायालय द्वारा उपर उल्लेखित मेमोरण्डम कथन व तस्दीक पंचनामा का अवलोकन किया गया, जिसे प्रकरण के अहम सहअभियुक्तों के कथनों के अनुसार तैयार किया गया है।

11. अभियुक्तगण भूषण प्रसाद सिंह के मेमोरण्डम कथन प्रदर्श पी०–02, अभियुक्त सिद्धि कुमार का प्रदर्श पी०–03, अभियुक्त उमेश प्रसाद का प्रदर्श पी०–05, अभियुक्त सुनील सिंह का प्रदर्श पी०–06, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत तैयार किया गया था, जिसमें अभियोजन द्वारा कुछ तथ्यों की खोज की गयी है। इन सभी मेमोरण्डम कथनों में सहअभियुक्तों ने वर्तमान अपीलार्थी के षडयंत्र में शामिल होने का कथन किया है उनसे एेसा कोर्इ भी तथ्य खोजा नहीं गया है जिससे वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह की सहभागिता उस अपराध को कारित किये जाने में हो, इसलिये केवल सहअभियुक्तों के मेमोरण्डम कथनों में केवल वर्तमान अपीलार्थी का नाम उल्लेखित होने के अतिरिक्त कोर्इ विशेष तथ्य की खोज नहीं की गयी है, जिससे अपराध करने में अभियुक्त की सहभागिता दर्शित हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. मेमोरण्डम कथनों के अतिरिक्त तैयार किए गये अन्य दस्तावेज तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी०–04, जिसे सहअभियुक्त सिद्धि कुमार व भूषण प्रसाद के कथनानुसार तैयार किया गया है उक्त् प्रदर्श पी०–04 के पंचनामा में सहअभियुक्तगण ने बताया है कि किस प्रकार से अपराध का षडयंत्र रचा गया आैर उस षडयंत्र एवं उसके क्रियान्वयन में वर्तमान अपीलार्थी की भूमिका केवल इतनी है कि डकैती करने के बाद सहअभियुक्त दो मोटर सायकल से भाग गए, जिसका उपयोग वर्तमान अपीलार्थी ने किया था।

13. यह अभियुक्त सुशील कुमार व उमेश प्रसाद के बताये अनुसार तैयार किये गए तस्दीक पंचनामा प्र०पी०–07 में भी वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंह के इसी तरह की भूमिका निभाने का आरोप है।

14. इस प्रकार सभी मेमोरण्डम कथन एवं तथाकथित तस्दीक पंचनामा जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण प्रकृति के है, जिसे स्वीकारोक्ति कथन/अभियोगात्मक कथन के तौर पर लेते हुए, जिसे सहअभियुक्त द्वारा दिया गया है के आधार पर अपीलार्थी को कथित अपराध में शामिल किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. कोई भी मेमोरण्डम कथन, तस्दीक पंचनामा जो वास्तव में षडयंत्र किये जाने और बैंक लुटे जाने के बाद दर्ज किया गया है, वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत व विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है क्योंकि सहआरोपियों के वे कथन जो सहसाजिश कर्ता के रूप में दिये गये थे, वे कथन षडयंत्र किये जाने के दौरान नहीं दिये गये थे और वे केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण कथन है तथा सहअभियुक्त द्वारा दिया गया दोषारोपण कथन षडयंत्र सफल होने व अपराध घटित होने व अभियुक्तों के गिरफ्तार होने के काफी समय बाद दिया गया था।

16. इस संबंध में कानूनी स्थिति की जांच की गयी और सिद्धांतों को विकसित किया गया और निर्णयों की श्रृखंला में स्थापित किया गया।

17. **गुजरात राज्य बनाम मोहम्मद अतीक (सुप्रा)** के मामले में या सर्वोच्च न्यायालय के एक सहषडयंत्रकारी के बयानों, कृत्यों व लेखों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत साक्ष्य प्राप्त करने के अंतनिर्हित सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कर्इ पिछले निर्णयों पर विचार किया।

18. अभिव्यक्ति "उनके सामान्य आशय के संदर्भ में" पर भी विचार किया गया व इसका परीक्षण किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है–

> **14.** "भगवान स्वरूप लाल बिसेन लास आ ैर अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (AIR 1965 SC 682) में तीन खण्डपीठ के न्यायाधीशों ने "अभिव्यक्ति (उनके सामान्य आशय के संदर्भ में)" विस्तार पूर्वक कहा है आ ैर ए ेसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी कानून में यह शब्द आगे बढ़ाने में की तुलना में व्यापक दायरा देने के अभिप्राय से इस्तेमाल किया गया है। भले ही यह व्यापक हो परंतु क्या इसकी आयाम साजिश की अवधि से परे जाएगी। यह सुस्थापित है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 इस विधि के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार एक साजिशकर्ता का कथन या कार्य दूसरे पर बाध्य कारित होता है, यदि यह साजिशकर्ताआ ें के सामान्य आशय के अस्तित्व में रहने के दौरान कहा गया था। यदि ए ेसा है तो एक बाद जब सामान्य आशय समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद किसी भी साजिशकर्ता द्वारा दिया गया कोर्इ भी बयान–"उनके सामान्य आशय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के संदर्भ में” नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या अन्यथा, साजिश में उसकी सहभागिता साक्ष्य अधिनियम 10 के दायरे में नहीं आयेगी।

15. प्रिवी काउंसिल ने मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर –AIR 1940 PC 176 में लार्ड रा्इट की प्रासंगिक टिप्पणीयां निम्नलिखित है–

“लार्ड शिप का विचार है कि धारा 10 के सिद्धांत को व्यापक रूप से इस तरह से नहीं समझा जा सकता है कि साजिश का गठन किये जाने के क्रम में एक साजिश कर्ता द्वारा दुसरे साजिश कर्ता की अनुपस्थिति में षडयंत्र के अग्रशरण में किया गया कार्य के संबंध में दिया गया बयान उक्त साजिश के पूरा होने के बाद दिया जाता है। यहां पर सामान्य आशय अतीत में है। लार्ड शिप ने अपने निर्णय में कहा है कि ‘सामान्य आशय’ शब्द उस समय मौजूद एक सामान्य आशय को दर्शाता है जो उसमें से किसी एक के द्वारा जब षडयंत्र अस्तित्व में हो उस समय कही गयी हो, किया गया कार्य या लिखी गयी हो। सामान्य आशय साक्ष्य के रूप में यह प्रासंगिक है कि एक बार इसके अस्तित्व विश्वास करने के लिये उचित आधार दिखाया गया है, लेकिन यह अलग मुद्दा है कि क्या सामान्य आशय या साजिश जारी नहीं रहने या अस्तित्व में नहीं रहने के बाद किसी तीसरे पक्ष को दिया गया को्इ भी कथन या बयान या स्वीकारोक्ति दूसरे पक्ष के विरूद्ध स्वीकार्य है, तो फिर साजिश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कर्ता का कोई सांझा/सामान्य आशय नहीं है, जिसका रिफ्रेन्स बयान में लिया जा सके। लार्ड शिप के निर्णय में धारा 10 इस सिद्धांत को मूल रूप देते है, यही वह संरचना है जिसे भारत के फैसलों में धारा 10 पर सही ढंग से लागू किया गया है। उदाहरण – सम्राट बनाम गणेश रघुनाथ (55 बाम्बे 839) और सम्राट बनाम अबानी (38 CAL 169) इन प्रकरणों में षडयंत्रकारी द्वारा षड़यंत्र के अग्रशरण में षडयंत्र के दौरान कही गयी बातों के बीच अंतर सही ढंग से किया गया है जबकि षडयंत्र चल रहा है उस दौरान कही गयी बातें, लिखी गयी बातें षडयंत्र के पूर्ण होने के बाद गिरफ्तारी के बाद घटनाओं के विवरण के तौर पर दिये गये थे।"

(Emphasis supplied)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. तीन न्यायाधीशों के खण्ड पीठ ने <u>शार्दुल सिंह कैवेशर और अन्य बनाम बाम्बे राज्य</u> (AIR 1957 SC 747) में कहा है–

"साक्ष्य अधिनियम धारा 10 के अंतर्गत एक सहसाजिश कर्ता का बयान, कार्य और लेखों को दुसरे के विरूद्ध उपयोग में लाना एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। साक्ष्य अधिनियम में धारा 10 का नियम आपराधिक मामलों में एजेंसी के सिद्धांतों को सहसाजिशकर्ता के कृत्यों तक सिमित करता है, जिस अवधि के दौरान कहा गया, किया गया कार्य"उसके सामान्य आशय के संदर्भ में " अर्थात् साजिश के दौरान कही गयी, लिखी गयी बातें जो साजिश को अंजाम देता है।

एेसा प्रतीत होता है कि यहां आरोप में विनिर्दिष्ट अवधि साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। "

(Emphasis supplied)

19. अंत में साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 यह सिद्धांत स्थापित करती है जो नीचे दिया गया है–

17. ″इस प्रकार इस सिद्धांत में अब यह मान्य नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के द्वारा दिया गया कोई भी बयान चाहे वह स्वीकारोक्ति के रूप में हो या अन्यथा, धारा 10 साक्ष्य अधिनियम की परिधि में नहीं आ सकता। इसका परिणाम यह है कि चौथे प्रतिवादी (अब्दुल लतीफ अब्दुल वहाब शेक) का इकबालिया बयान जो अब जीवित नहीं है, साक्ष्य के उपयोग की दृष्टि से नष्ट हो गया है।″

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. **मोहम्मद खालिद (सुप्रा)** के निर्णय के बाद **गुजरात राज्य बनाम मोहम्मद अतीक (सुप्रा)** के मामले में पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए पूर्वोक्त सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार धारा 10 का नियम साक्ष्य अधिनियम का एक सामान्य अपवाद है, जिसमें एक साजिशकर्ता द्वारा दिया बयान दूसरे साजिशकर्ता के विरूद्ध उस सीमा तक स्वीकार्य होगा। यदि वह बयान उस अवधि में दिया गया हो जबकि एजेंसी अस्तित्व में थी, जिसे निम्नानुसार हाईलाईट किया गया है–

33. "इकबालिया बयान के बारे में जो भी हमारा दृष्टिकोण् रहा है उसके अनुसार इस सवाल पर जाना जरूरी नहीं है कि क्या धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज बयान को ज्यादा विश्वसनीयता दी जानी चाहिए, भले ही इकबालिया बयान टाडा एक्ट की धारा 15 के अंतर्गत दर्ज ना किया गया हो। हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के विचार से सहमत है कि धारा 10 साक्ष्य अधिनियम के सामान्य नियम का अपवाद है जिसमें एक साजिशकर्ता द्वारा दिया गया बनाम दुसरे साजिशकर्ता केविरूद्ध उस सीमा तक स्वीकार्य होगा जबकि वह कथन उस अवधि में दिया गया हो जबकि एजेंसी अस्तित्व में थी। गुजरात राज्य बनाम मोहम्मद अतीक एवं अन्य [1998] 4 SCC 351, में यह सिद्धांत अब एकीकृत नहीं है कि किसी अभियुक्त द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद दिया गया कोई भी बयान, चाहे वह स्वीकारोक्ति के रूप में हो या अन्यथा, साक्ष्य अधिनियम के द्वारा धारा10 के दायरे में नहीं आ सकता है। एक बार जब सामान्य आशय समाप्त हो जाता है तो उसके बाद किसी पूर्व साजिशकर्ता द्वारा दिया गया कोई भी बयान उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में दिया गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान चाहे वह स्वीकारोक्ति हो या अन्यथा साजिश में उनकी संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के परिधि में नहीं आएगा।

34. "इस प्रावधान की पहली शर्त जो इस प्रावधान को स्पष्ट करती है वह

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है” इस बात को मानने के लिये आधार हो कि षडयंत्रकारियों ने एक साथ मिलकर साजिश रची है। यह शर्त तब पूरी होगी जब प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिये कुछ साक्ष्य हो कि एेसी कोई आपराधिक साजिश हुई थी। यदि उपरोक्त शर्त पूरी हो जाती है तब षडयंत्रकारियों में से किसी एक द्वारा कही गयी बात दूसरे के लिये तब ठोस सबूत हो जाती है जब वह कथन उनके सामान्य आशय के संदर्भ में कहे गये हो। इंग्लिश कानून में इसी प्रावधान के तहत उपयोग की गयी। अभिव्यक्ति व "सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में" है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि “उनके सामान्य आशय के संदर्भ में ” शब्द अंग्रेजी कानून में इस्तेमाल किये गये शब्दों से व्यापक है। (देखे सरदार शार्दुल सिंह कैवेशेर विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य, AIR (1965) SC 682.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

35. परंतु यह तर्क की किसी षडयंत्रकारी द्वारा दिया गया बयान, चाहे वह किसी भी समय पर दिया गया हो धारा 10 के अंतर्गत स्वीकार्य होगा यदि वह “सामान्य आशय” के संदर्भ में था, स्वीकृति के लिये बहुत व्यापक शब्द है। हम इस बात को नजर अंदाज नहीं कर सकते कि साक्ष्य अधिनियम की धारा10 में निहित कुल सिद्धांत एजेंसी का सिद्धांत है। हर षडयंत्रकारी, षडयंत्र को पूरा करने में अपने सहभागी का एजेन्ट है। धारा 10 सामान्य नियम का अपवाद है कि एक षडयंत्रकारी द्वारा दूसरे षडयंत्रकारी के विरूद्ध दिये गये बयान को उस सीमा तक स्वीकार्य किया जा सकता है जबकि वह कथन उस दौरान दिया गया था जब एजेंसी अस्तित्व में थी।

यदि एक बार यह दर्शित हो जाता है कि कोई व्यक्ति षडयंत्र से बाहर हो गया है तो उसके बाद दिया गया कोई भी बयान धारा 10 के तहत अन्य षडयंत्रकारियों के विरूद्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।

21. **एस० अरूल राजा (सुप्रा)** के मामले में यह स्पष्ट रूप से माना गया था–

58. "इसके अतिरिक्त इस न्यायालय ने मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2002) 7 SCC 334 और गुजरात राज्य बनाम मो०अतीक और अन्य (1998) 4 SCC 351 में यह held किया गया कि गिरफ्तारी के बाद का बयान धारा 10 साक्ष्य अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। इसलिये पुलिस हिरासत में A1 द्वारा दिया गया बयान का इस्तेमाल अपीलकर्ता को अलादी अरूणा की हत्या की साजिश में फंसाने के लिये नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22. स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इसमें से कोई भी सहअभियुक्त के गिरफ्तारी के बाद वाले बयान के दस्तावेज, साजिश को आगे बढ़ाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत स्वीकार्य साक्ष्य का गठन नहीं करते है, जिससे की वर्तमान अपीलार्थी मुकेश सिंहको कथित अपराध के गठन में शामिल किया जा सके।

23. इसलिये हम अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार करते है कि जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है, अभियोजन के पास कोई एक स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है, जिसमें यह साबित हो जाये कि साजिशकर्ता उक्त षडयंत्र में शामिल था और उसे आगे बढ़ाते हुए डकैती का अपराध किया गया था।

24. परिणाम स्वरूप, यह अपील स्वीकार किया जाता है, अपीलार्थी मुकेश सिंह को उसके खिलाफ लगाए गये आरोपों से बरी किया जाता है। उसकी दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी को तत्काल रिहा किया जाता है।

Sd/-
मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Sd/-
(विमल सिंह कपूर)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur